पत्रिका

#PrivateSchool जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से जारी पत्र में स्कूल प्रबंधनों को हिदायत, स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने की आदेश पर रोक की मांग

एनसीईआरटी की किताबों का उपयोग न करने पर होगी कार्रवाई

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

रायपुर. जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों को एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक का उपयोग करने के लिए हिदायत दी गई है। डीईओ द्वारा जारी पत्र में अशासकीय विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की किए जाने की बात भी कही गई है।

हाल ही में पत्रिका ने स्कूलों में पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तक न पहुंचाए जाने के संबंध में खबर प्रकाशित की थी। साथ ही स्कूल खुलने के समय यह भी खबर प्रकाशित की गई थी कि प्राइवेट स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की किताबें लेने अभिभावकों को बाध्य कर रहे हैं, जबकि प्राइवेट स्कूलों में एनसीईआरटी की ही किताबों से पढ़ाया जाना है।

बाजार में उपलब्ध किताबों से पढ़ाई की मजबूरी

जवाब में यह भी बताया है कि प्रदेश में लगभग सभी अशासकीय विद्यालयों में संचालित नर्सरी, कक्षा केजी 1 व 2 कक्षाओं की कोई भी पुस्तक पाठ्य पुस्तक निगम प्रकाशित नहीं करता है। ऐसे में अशासकीय विद्यालयों की मजबूरी है कि वह बाजार में उपलब्ध किताबों से अध्यापन कराएं। एसोसिएशन ने आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की मांग भी की है। उनका कहना है कि निगम द्वारा प्रकाशित किताबें आज की तारीख तक किसी भी विद्यालय में उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। नए सत्र की किताबें नहीं मिल पाने के कारण अधिकांश अशासकीय विद्यालयों ने निजी प्रकाशकों की पुस्तकों से पढ़ाना शुरू कर दिया है।

एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के आदेश का दिया हवाला

डीईओ द्वारा जारी किए गए पत्र के बाद छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने इसका जवाब भी दिया है। उसका कहना है कि विद्यालय में अध्ययन कराने के लिए एसोसिएशन ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर की थी जिसके आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देशित किया कि एसोसिएशन के सदस्य स्कूल अगर किसी अन्य किताब का उपयोग करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसी आदेश को आगे बढ़ाते हुए अगली तारीख तक स्टे को जारी रखा है।

28/06/2025 | Raipur City | Page : 6
Source : https://epaper.patrika.com/